प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 146 / /सात–3/कु0वि0नी0–2013/बजट/2023–24 दिनांकः 12-07-2023

विषयः **अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट की क्रियाशील इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित धनराशि के व्यय हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कि शासनादेश संख्या–13मु0स0/सैतीस–2–2013–1(45)/12टी0सी0 दिनांक 15 मई 2013, शासनादेश संख्या–2280/सैतीस–2–2013–1(45)/12 दिनांक 17 जून 2013, शासनादेश संख्या–4064/सैतीस–2– 2015–30(116)/2015 दिनांक 11 जनवरी–2016, शासनादेश संख्या–2254/सैंतीस–2–2022– 1(45)/2012टी0सी0–(ए)क0सं0–1659381 दिनांक 07 नवम्बर–2022 एवं शासनादेश संख्या–2505/सैंतीस–2–2022–1(45)/12टीसी दिनांक 29 दिसम्बर–2022 द्वारा अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना (रा0यो0) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट की क्रियाशील इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में वित्त नियंत्रक, मुख्यालय के पत्र संख्या–414/बजट/29(5)/अनु0–15/31/2023–24 दिनांक 06.07.2023 द्वारा मानक मद 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 51370700.00 (रूपया पॉच करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार सात सौ मात्र) की धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि को पात्र इकाईयों को वितरित करने हेतु वित्त नियंत्रक, मुख्यालय के उक्त पत्र में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न दिशा–निर्देशों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण के देय ब्याज पर अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर इन दोनों में से जो भी कम हो की दर से ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी।

   इसी प्रकार उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 अन्तर्गत उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण के देय ब्याज पर अधिकतम 7 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर इन दोनों में से जो भी कम हो की दर से ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी।

   उद्यमी को ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए प्रति इकाई निर्धारित अधिकतम सीमा का संज्ञान अवश्य लिया जाय।
2. ब्याज प्रतिपूर्ति करने से पूर्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि जिस इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति की जानी है उस फार्म पर मानक के अनुरूप पक्षी पाले जा रहे है अथवा नही। यदि ऐसी कोई इकाई जो पूर्ण रूप से क्रियाशील नही है तो मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर इसकी जॉच करायी जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर उक्त टीम के सदस्य होगें। योजनानुसार इकाई में पक्षियों की संख्या 6 माह तक मानक से कम पाये जाने पर ऐसी इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति नही की जानी है।

3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग अपने मण्डलान्तर्गत जनपदों में स्थापित कुक्कुट इकाईयों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन करते हुए निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. 6 माह से अधिक समय से अक्रियाशील/बन्द इकाईयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति नही की जानी है।
5. बैंक ऋण की डिफाल्टर इकाईयों को की गयी ब्याज प्रतिपूर्ति की वसूली का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा। यदि इस प्रकार की कोई इकाई जनपद में हो तो उससे ब्याज प्रतिपूर्ति की वसूली हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय।
6. ब्याज की प्रतिपूर्ति सभी पात्र इकाईयों को की जानी है। ऐसा कदाचित न किया जाये कि निदेशालय से प्राप्त धनराशि को मात्र कुछ ही उद्यमियों में वितरित कर दिया जाय। यदि किसी इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति नही की जा रही है तो ब्याज प्रतिपूर्ति न किये जाने का ठोस कारण भी प्रस्तुत करें।
7. इकाईयों को की गयी ब्याज प्रतिपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रतिमाह अवश्य प्रेषित करें। (प्रारूप संलग्न)
8. **जिन इकाईयों के ऋण प्राप्त करने के 5 वर्षो में ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ पूर्ण हो गया है उन इकाईयों की सूचना निदेशालय को प्रेषित करें।**
9. कुक्कुट इकाई के मुख्य द्वार पर "उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत संचालित कामर्शियल लेयर या ब्रायलर पैरेन्ट" (जो भी इकाई संचालित हो) के साथ फर्म का नाम एवं उद्यमी का नाम मोबाइल नम्बर सहित लिखा हुआ एक बोर्ड जिसे दूर से ही देखा एवं पढ़ा जा सकता हो लगाया जाना अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार ब्याज प्रतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय के सम्बन्ध में सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

भवदीय,

12/07/23

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

संख्याः /सात–3/कु0वि0नी0–2013/बजट/2023–24 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत स्थापित कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट इकाईयों को की गयी ब्याज प्रतिपूर्ति का विवरण

क्र0 सं0	उद्यमी/फर्म का नाम	इकाई का प्रकार एवं संख्या 30000 का0ले0 10000 का0ले0 10000 ब्रा0पै0	बैंक ऋण स्वीकृत इकाई संख्या	बैंक ऋण स्वीकृत धनराशि (रू0 में) दिनांक सहित	बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर %	इकाई क्रियाशील होने का दिनांक	ब्याज प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि का वर्षवार विवरण											कुल योग (7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)
							13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23	23–24	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

(डा0 .....)
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
जनपद–

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्याः /सात–3/कु0वि0नी0–2013/बजट/2023–24 दिनांकः12-07-2023

विषयः **अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना (रा0यो0) अन्तर्गत कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट की क्रियाशील इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित धनराशि के व्यय हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कि शासनादेश संख्या–13मु0स0/सैतीस–2–2013–1(45)/12टी0सी0 दिनांक 15 मई 2013, शासनादेश संख्या–2280/सैतीस–2–2013–1(45)/12 दिनांक 17 जून 2013, शासनादेश संख्या–4064/सैतीस–2– 2015–30(116)/2015 दिनांक 11 जनवरी–2016, शासनादेश संख्या–2254/सैंतीस–2–2022– 1(45)/2012टी0सी0–(ए)क0सं0–1659381 दिनांक 07 नवम्बर–2022 एवं शासनादेश संख्या–2505/सैंतीस–2–2022–1(45)/12टीसी दिनांक 29 दिसम्बर–2022 द्वारा अण्डा एवं कुक्कुट मांस उत्पादन बढ़ाने की योजना (रा0यो0) का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कामर्शियल लेयर एवं ब्रायलर पैरेन्ट की क्रियाशील इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति की जानी है।

उपरोक्त के क्रम में वित्त नियंत्रक, मुख्यालय के पत्र संख्या–414/बजट/29(5)/अनु0–15/31/2023–24 दिनांक 06.07.2023 द्वारा मानक मद 20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 51370700.00 (रूपया पॉच करोड़ तेरह लाख सत्तर हजार सात सौ मात्र) की धनराशि ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु आवंटित की गयी है। उक्त धनराशि को पात्र इकाईयों को वितरित करने हेतु वित्त नियंत्रक, मुख्यालय के उक्त पत्र में अंकित निर्देशों के साथ–साथ निम्न दिशा–निर्देशों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण के देय ब्याज पर अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर इन दोनों में से जो भी कम हो की दर से ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी।

   इसी प्रकार उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 अन्तर्गत उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण के देय ब्याज पर अधिकतम 7 प्रतिशत अथवा बैंक द्वारा निर्धारित दर इन दोनों में से जो भी कम हो की दर से ब्याज प्रतिपूर्ति की जायेगी।

   उद्यमी को ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए प्रति इकाई निर्धारित अधिकतम सीमा का संज्ञान अवश्य लिया जाय।
2. ब्याज प्रतिपूर्ति करने से पूर्व मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित कर लें कि जिस इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति की जानी है उस फार्म पर मानक के अनुरूप पक्षी पाले जा रहे है अथवा नही। यदि ऐसी कोई इकाई जो पूर्ण रूप से क्रियाशील नही है तो मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर इसकी जॉच करायी जाये। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर उक्त टीम के सदस्य होगें। योजनानुसार इकाई में पक्षियों की संख्या 6 माह तक मानक से कम पाये जाने पर ऐसी इकाईयों को ब्याज प्रतिपूर्ति नही की जानी है।

3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग अपने मण्डलान्तर्गत जनपदों में स्थापित कुक्कुट इकाईयों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन करते हुए निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. 6 माह से अधिक समय से अक्रियाशील/बन्द इकाईयों को ब्याज की प्रतिपूर्ति नही की जानी है।
5. बैंक ऋण की डिफाल्टर इकाईयों को की गयी ब्याज प्रतिपूर्ति की वसूली का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा। यदि इस प्रकार की कोई इकाई जनपद में हो तो उससे ब्याज प्रतिपूर्ति की वसूली हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय।
6. ब्याज की प्रतिपूर्ति सभी पात्र इकाईयों को की जानी है। ऐसा कदाचित न किया जाये कि निदेशालय से प्राप्त धनराशि को मात्र कुछ ही उद्यमियों में वितरित कर दिया जाय। यदि किसी इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति नही की जा रही है तो ब्याज प्रतिपूर्ति न किये जाने का ठोस कारण भी प्रस्तुत करें।
7. इकाईयों को की गयी ब्याज प्रतिपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रतिमाह अवश्य प्रेषित करें। (प्रारूप संलग्न)
8. **जिन इकाईयों के ऋण प्राप्त करने के 5 वर्षो में ब्याज प्रतिपूर्ति का लाभ पूर्ण हो गया है उन इकाईयों की सूचना निदेशालय को प्रेषित करें।**
9. कुक्कुट इकाई के मुख्य द्वार पर "उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 अन्तर्गत संचालित कामर्शियल लेयर या ब्रायलर पैरेन्ट" (जो भी इकाई संचालित हो) के साथ फर्म का नाम एवं उद्यमी का नाम मोबाइल नम्बर सहित लिखा हुआ एक बोर्ड जिसे दूर से ही देखा एवं पढ़ा जा सकता हो लगाया जाना अनिवार्य है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार ब्याज प्रतिपूर्ति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय के सम्बन्ध में सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

भवदीय,

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार</u>

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्याः 1461/सात–3/कु0वि0नी0–2013/बजट/2023–24 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

19/9/23

(डा0 इन्द्रमनि)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास